



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PURNIA  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक  
केन्द्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0  
शिक्षा केंद्र, 2 कम्प्यूनिटी सेंटर 0

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 20-08-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय VIDYA VIHA RESIDENTIAL SCHOOL, , PARORA, 854304 . कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 20-08-2021 से 20-8-2024 अवधि के लिए औपबधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जा

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों को करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मान का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :
  - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय निष्कासित किया जाएगा ।
  - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।
  - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
  - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।
  - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।
  - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा ।
  - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।
  - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।



(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 12.5 Ac

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 12.5 Ac

(iii) खेल के मैदान क क्षेत्र :- Hostel, Mess, Playground, Library, Medical, Conference Hall

(iv) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या :- 43

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 7

(Vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 30 , Girls 7

(Vii) पेयजल की सुविधा :- 15

(Viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 2

(IX) बाधारहित पहुँच, [ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्तकालय पुस्तकालय :- Black Board, Smart Class, Atal Tinkering Lab, Lab. Equipment Library Books, Maps , Volley Ball, Basket Ball, Hand Ball, Football, Cricket Equipments, Table Tennis Equipments, Badminton Equipments, Carrom Board, Chess Board, , ( Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 36 )

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किंग पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [ 21111332021820120429, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय "मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और सरकार के स्तर प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गम अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलप्रक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

विश्वास भाजन  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, PURNI  
सह-सचिव प्रस्वीकृत समिति  
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार





**\*AFFIDAVIT\*** No-3445/23

I, Nikhil Ranjan, Principal of Vidya Vihar Residential School, solemnly affirm and declare as follows:

- \* I am the duly appointed Principal of Vidya Vihar Residential School, located at Parora, Purnea.
- \* I am authorized to make this affidavit on behalf of the school.
- \* It is my responsibility to ensure that the certificates issued by the state government department contain all the relevant information as required in the prescribed format of the Central Board of Secondary Education (CBSE).

\* The CBSE is a national-level educational board that sets the standards and guidelines for schools in India. It has a specific format for certificates from schools

However, the state government department responsible for issuing certificates to Vidya Vihar Residential School has their own format, which differs from the prescribed format of the CBSE.

\* Despite our repeated attempts and requests, the state government department has not entertained our efforts to obtain the certificates in the CBSE format. They have consistently maintained that their own format is the only acceptable format for issuing certificates to the school.

\* As a result, it is not within our control or authority to obtain the certificates in the CBSE format.

\* We have made every reasonable effort to comply with the CBSE guidelines, but the state government department's refusal to accommodate our requests has made it impossible for us to do so.

\* I hereby affirm that the certificates issued by the state government department do contain all the relevant information required by the CBSE guidelines, to the best of my knowledge and belief.

\* While the format may differ, the essential details are included in the certificates issued by the state government department.


\* I further affirm that this affidavit is made for the purpose of ensuring that the certificate issued by the state government department will be recognized and accepted by the CBSE, even though it may not conform to the CBSE format.


\* I declare that the above statements are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Executed on this 23rd day of June, 2023, at Purnea, Bihar.

  
[Nikhil Ranjan]  
Principal  
Vidya Vihar Residential School

Sworn and affirmed before me this 23rd day of June, 2023.  
[Notary Public]

**Identified By**  
  
Advocate, Purnea  
Dt 23-6-23

  
Dt 23.6.23  
**RAJ KUMAR THAKUR**  
ADVOCATE  
NOTARY PUBLIC  
PURNEA (BIHAR) INDIA

NOTARY PUBLIC AUTHORIZED UNDER  
NOTARY ACT, 1952 (53, 1952) AND  
S/R 3(4) 1956 OF THE ACT AND  
S/R, 39(C) THE CODE OF CIVIL  
PROCEDURE 1908 AND 0297 (C)  
CRIMINAL PROCEDURE CODE